

बिहार विद्यालय परीक्षा समिति

विज्ञप्ति संख्या - प्री.आर. 139 / 2024

(i) डी.एल.एड. पुराने पाठ्यक्रम (विशेष) परीक्षा, 2024 की परीक्षा में सम्मिलित हुए परीक्षार्थियों का प्रथम वर्ष का आंतरिक एवं बाह्य तथा द्वितीय वर्ष के आंतरिक विषयों का PRE-PRINTED OMR BASED MARKS FOIL संस्थानवार पैकेटिंग को संबंधित जिला के जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय में उपलब्ध कराने तथा (ii) द्वितीय वर्ष के सैद्धान्तिक विषयों के मूल्यांकन हेतु राजकीय एवं निजी कोटि के प्रशिक्षण संस्थानों में कार्यरत व्याख्याताओं की प्रधान एवं सह परीक्षक तथा MPP (Marks Posting Personnel) की नियुक्ति के संबंध में आवश्यक सूचना

एतद् द्वारा संबंधित प्रशिक्षण संस्थानों के प्राचार्य/प्राचार्या एवं संबंधित जिला के जिला शिक्षा पदाधिकारी को सूचित किया जाता है कि डी.एल.एड. पुराने पाठ्यक्रम (विशेष) परीक्षा, 2024 की परीक्षा में सम्मिलित हुए परीक्षार्थियों का प्रथम वर्ष का आंतरिक एवं बाह्य तथा द्वितीय वर्ष के आंतरिक विषयों का PRE-PRINTED OMR BASED MARKS FOIL संस्थानवार पैकेटिंग कर समिति के विशेष दूत के माध्यम से दिनांक - 08.04.2024 को संबंधित जिला के जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय में उपलब्ध करा दिया जाएगा। संबंधित संस्थान के प्राचार्य/प्राचार्या स्वयं अथवा अपने द्वारा प्राधिकृत कर्मि विषयांकित परीक्षा का प्रथम वर्ष के आंतरिक एवं बाह्य तथा द्वितीय वर्ष के आंतरिक विषयों का विषयवार Pre-Printed O.M.R. Based Marks Foil संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय से प्राप्त कर अनुवर्ती कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे।

2. PRE-PRINTED OMR BASED MARKS FOIL मरने एवं जमा करने हेतु निदेश :-

परीक्षार्थियों के प्रवेश पत्र पर आवंटित रोलकोड/क्रमांक के अनुरूप आंतरिक मूल्यांकन का अंक प्रविष्टि हेतु PRE-PRINTED MARKS FOIL के पार पृष्ठ पर मुद्रित निर्देश का अक्षरशः अनुपालन करते हुए त्रुटि रहित अंक प्रविष्टि करेंगे। गलत अंक चढ़ाने या लिप्त लेखन की स्थिति में परीक्षाफल प्रकाशन पर पड़ने वाले प्रभाव की पूर्ण जिम्मेवारी संबंधित प्रशिक्षण संस्थान के प्राचार्य/प्राचार्या की होगी। विषयवार OMR BASED MARKS FOIL में अंक प्रविष्टि के उपरान्त दो अलग-अलग पैकेट्स जिस पर कम्प्यूटर प्रति एवं कार्यालय प्रति लिखते हुए PRE-PRINTED OMR BASED MARKS FOIL का सील्ड पैकेट दिनांक-15.04.2024 तक समिति कार्यालय (मुख्य भवन) में निश्चित रूप से जमा करना सुनिश्चित करेंगे।

3. विषयांकित पाठ्यक्रम का द्वितीय वर्ष के सैद्धान्तिक विषयों का मूल्यांकन हेतु राजकीय एवं निजी कोटि के प्रशिक्षण संस्थानों में कार्यरत व्याख्याताओं की प्रधान एवं सह परीक्षक तथा MPP (Marks Posting Personnel) की नियुक्ति की गई है। नियुक्ति पत्र समिति की वेबसाइट secondary.biharboardonline.com पर दिनांक 07.04.2024 से अपलोड है। संबंधित प्रधान परीक्षक, सह-परीक्षक एवं MPP (Marks Posting Personnel) का नियुक्ति पत्र समिति की वेबसाइट से डाउनलोड कर प्राचार्य से विरमित होकर निर्धारित मूल्यांकन केन्द्र पर दिनांक 09.04.2024 को 9:30 बजे पूर्वाह्न तक निश्चित रूप से योगदान कर मूल्यांकन का कार्य प्रारंभ करना सुनिश्चित करेंगे।

4. जिला शिक्षा पदाधिकारी, पटना से अनुरोध है कि MPP (Marks Posting Personnel) का नियुक्ति पत्र संबंधित MPP को अपने स्तर से प्राप्त कराते हुए निदेशित करेंगे कि वे निर्धारित तिथि को मूल्यांकन केन्द्र पर अनिवार्य रूप से योगदान करना सुनिश्चित करें।

5. विहित कार्य से विमुक्त करने संबंधी आवेदन को स्वीकार नहीं किया जाएगा। नियुक्त प्रधान परीक्षक, सह-परीक्षक एवं एम0पी0पी0 द्वारा योगदान नहीं करने की स्थिति में बिहार परीक्षा संचालन अधिनियम, 1981 के सुसंगत प्रावधान एवं भारतीय दण्ड विधान (आइ0पी0सी0) की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत प्राथमिकी दर्ज कराने की बाध्यता होगी। साथ ही इस संबंध में नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई हेतु शिक्षा विभाग को प्रतिवेदित कर दिया जाएगा।

परीक्षा नियंत्रक (विविध)